GOVERNMENT OF INDIA



अमाधारा

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2017/पौष 27, 1938

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 317

No. 18]

DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2017/PAUSA 27, 1938

[N.C.T.D. No. 317

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जनवरी, 2017

सं. फा. 2(6)/06/औ.नि./पर्व./पार्ट.फा./वोल्यूम II/01.07.—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 2 के खंड (i) के साथ पिठत नियम 50 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में तथा दिनांक 8.4.2016 की इस विभाग की अधिसूचना सं0 फा0 2(6)/06/औ०नि0/पर्व0/पार्ट0फा0/754—759 के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री प्रवीण कुगार गुप्ता, उप—औषधि नियंत्रक को उक्त नियमावली के प्रयोजनार्थ, संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये तत्काल प्रभाव से नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अशोक कुमार वर्मा, उप सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 16th January, 2017

No. F. 2(6)/06/DC/Enft./Pt.file/Vol. II/01-07.—In pursuance of the provisions contained in rule 50 read with clause (i) of rule 2 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, and in supersession of this department's Notification No.F. 2(6)/06/DC/Enft./ Pt. File/754-759 dated 08.04.2016, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Parveen Kumar Gupta, Deputy Drugs Controller, Delhi as the Controlling Authority for the purposes of the said Rules, for the entire National Capital Territory of Delhi with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ASHOK KUMAR VERMA, Dy. Secy.